न्यायालय उपखण्ड् अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 11/2021 GCMS NO. 2021/98
दायरा तिथि : 22.06.2021
आदेश तिथि :

प्रार्थी :–
श्री नथाराम पुत्र दुदारामजी जाति जणवा चौधरी
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक :

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 571, 592 रकबा क्रमशः 0.42 हैक्टर, 0.65 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, बारानी दोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा धणी के खसरा नंबर 572/1149 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म अव्वल मे से संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजरथान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2021/1287 दिनांक 30.07. 2021 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम **धणी** तहसील बाली के खसरा नंबर 571 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि श्री नथाराम पुत्र दुदाजी जाति जणवा निवासी धणी तहसील बाली के नाम से खातेदारी की दर्ज हैं।
2. रास्ते हेतु आवेदित/प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	572/1149	0.30 हैक्ट.	बा.अ.	28 X 4 = 112 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम **धणी** की डी.एल.सी.दर 230040/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कोई पक्का निर्माण, वृक्ष ईत्यादि क्षति नहीं हैं। अन्य किसी प्रकार की क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य ईत्यादि नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे वकील प्रार्थी श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा एवं श्री रामलाल चौहान व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार 02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 11/2021 GCMS NO. 2021/98

अनवान नथाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय राजस्व/2021/1287 दिनांक 30.07.2021 से प्रेषित जांच अभिशंषा/भू.अ. निरीक्षक खुडाला की मौका जांच के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प. 3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि **मौजा धणी** तहसील बाली के खसरा नंबर 571 रकबा 0.42 हैक्टर किरम बारानी अव्वल में आवागगन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा **धणी के खसरा नंबर 572/1149** किरम बारानी अव्वल मे रो **112** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियगानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 230040/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
572/1149	0.30 हैक्ट	28 X 4 = 112 वर्गमीटर	23.00	**2576 X 2 = 5152**	राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **5152/– (अक्षरे पांच हजार एक सौ बावन रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक :

पत्रांक : कोर्ट/2021/

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक खुडाला
3. पटवारी हल्का धणी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री नथाराम पुत्र दुदाजी जाति जणवा चौधरी निवासी धणी को सूचनार्थ।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner